2018 का विधेयक सं. 6

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह 21 दिसम्बर, 2017 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 10 का संशोधन.- राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 38) की विद्यमान धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी और सदैव प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी, अर्थात्:-

> "**10. अधिनियम अन्य विधियों का अल्पीकरण नहीं करेगा.-** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगी।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों

और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 2017 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 उपबंधित करती है कि इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का फायदा ले रहे अति पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण का फायदा लेने के हकदार नहीं होंगे। यह उपबंध इस कारण से किया गया था कि यह अनुध्यात था कि अति पिछड़े वर्गों को राज्य में सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में आरक्षण का ऐसा प्रतिशत और शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण वार्षिक अनुज्ञात संख्या का ऐसा प्रतिशत उपलब्ध कराया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये और इसलिए यह ठीक समझा गया कि इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि उन्हें इस बात के लिए अनुज्ञात किया जाये कि वे पिछड़े वर्ग से संबंधित कोटे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करें।

यत:, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस.एल.पी.(सी) सं. 30936/2017 में पारित अपने आदेश दिनांक 13.11.2017 में राज्य सरकार को प्रशासनिक पक्ष से या अन्य किसी रीति से आरक्षण का फायदा प्रदत्त करने वाली ऐसी कोई कार्रवाई करने या निर्णय लेने से रोका है, जिसका परिणाम कुल 50 प्रतिशत आरक्षण को लांघने वाला हो।

यत:, राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को पहले से ही 49 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार 2017 के अधिनियम के अधीन अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण 1 प्रतिशत तक ही उपलब्ध करवाने तक सीमित थी ।

यत:, 2017 के अधिनियम की अधिनियमिति से पूर्व अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियां पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण का फायदा प्राप्त कर रहीं थीं। उच्च स्तरीय समिति, साथ ही साथ राजस्थान

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने अध्ययन में यह पाया कि इन वर्गों के उत्थान के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यदि इन वर्गों को आरक्षण 1 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाता है तो इससे अधिनियम और उच्च स्तरीय समिति तथा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों का प्रयोजन ही असफल हो जायेगा।

यत:, उपरोक्त वर्णित पृष्ठभूमि में यह समुचित समझा गया था कि इन वर्गों को पृथक् रूप से एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और उन्हें पिछड़े वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए भी अनुज्ञात किया जाये ताकि वे पिछड़े वर्गों को उपलब्ध आरक्षण का फायदा प्राप्त कर सकें। तदनुसार, 2017 के अधिनियम की धारा 10 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 21 दिसम्बर, 2017 को राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं. 4) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 38) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

10. अधिनियम अन्य विधियों का अल्पीकरण नहीं करेगा.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगी। तथापि, इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का फायदा ले रहे अति पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण का फायदा लेने के हकदार नहीं होंगे।

XX XX XX XX XX

THE RAJASTHAN BACKWARD CLASSES (RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE) (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017 .

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 21st December, 2017.

2. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 38 of 2017.- For the existing section 10 of the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017 (Act No. 38 of 2017), the following section shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely :-

> **"10. Act not to derogate from other laws.-** Nothing contained in this Act shall derogate from any other law for the time being in force.".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) (Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 4 of 2017) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The section 10 of the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017 (hereinafter referred to as Act of 2017) provides that a more backward class receiving the benefit of reservation under this Act shall not be entitled to receive the benefit of reservation as backward class. This provision was made for the reason that it was contemplated that More Backward Classes will be provided such percent of reservation in appointments and posts in services and such percent of reservation in seats of annual permitted strength in educational institutions in the state as may be notified by the State Government from time to time and therefore it was thought fit that there is no need to allow them to compete against the quota meant for the backward classes.

Whereas, the Hon'ble Supreme court has, in its order dated 13.11.2017 passed in SLP (C) No. 30936/2017, restrained the State Government from taking any action or decision on the administrative side or in any manner conferring the benefit of reservation, which will have the result of crossing the total reservation beyond 50 percent.

Whereas, 49 percent reservation has already been provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes under the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008. In view of the above State Government restrained to provide reservation upto 1 percent to the More Backward Classes under the Act of 2017.

Whereas, before the enactment of the Act of 2017 the castes included in the More Backward Classes were receiving benefit of reservation as backward classes. The High Powered Committee as well as, the Rajasthan State Commission for Backward Classes found in their study that for the upliftment of these classes, 5 percent reservation should be provided. If these classes are confined to 1 percent reservation then it would defeat very purpose of the Act and the recommendations of the High Powered Committee and the Rajasthan State Commission for Backward Classes.

Whereas, in the aforementioned background, it was considered appropriate that these classes should be provided 1 percent reservation

separately and they also be allowed to compete with Backward Classes to get the benefit of reservation available to Backward Classes. Accordingly, section 10 of the Act of 2017 is proposed to be amended suitably.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) (Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 4 of 2017), on 21st December, 2017, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), dated 21st December, 2017.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister In Charge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN BACKWARD CLASSES (RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE) ACT, 2017
(Act No. 38 of 2017)

XX XX XX XX XX XX XX

10. Act not to derogate from other laws.- Nothing contained in this Act shall derogate from any other law for the time being in force. However a more backward class receiving the benefit of reservation under this Act shall not be entitled to receive the benefit of reservation as backward class.

XX XX XX XX XX XX XX

2018 का विधेयक सं. 6

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

सचिव।

(वसुन्धरा राजे, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 6 of 2018

THE RAJASTHAN BACKWARD CLASSES (RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE) (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

_____

A

Bill

to amend the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017 .

_____

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

_____

Prithvi Raj,
Secretary.

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)